सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से सेन्ट्रल आपके लिए CENTRAL TO YOU SINCE 1911

सार्वजनिक सूचना
जीरो बैलेंस निष्क्रिय खातों को बंद करने हेतु

बैंक ने यह पाया है कि कई खातों में ग्राहकों द्वारा पिछले 2 वर्षों से कोई लेन-देन नहीं किया गया है तथा इन खातों में कोई शेष राशि नहीं है।

जोखिम को कम करने के उद्देश्य से बैंक ग्राहकों को समय-समय पर केवाईसी दस्तावेज़ जमा कर अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने एवं यह सुनिश्चित करने की सलाह दे रहा है ताकि इन खातों का दुरुपयोग न हो. बैंक ने पूर्व में ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया था ताकि अंतर्निहित जोखिम को रोका जा सके, तथा इस संबंध में दिनांक 12.09.2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।

इसी प्रकार, यह सूचना पुनः उन सभी खाताधारकों को जिन्होंने **दिनांक 28.02.2026** तक **पिछले 2 वर्षों** से अपने खातों में परिचालन नहीं किया है तथा जिनके खातों में शून्य या कोई शेष राशि नहीं है, को जारी की जा रही है, कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर यदि संबंधित शाखा में केवाईसी दस्तावेज़ प्रस्तुत कर खाते को सक्रिय नहीं किया गया तो ऐसे खाते बिना किसी अतिरिक्त सूचना के बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि, ऐसे खाते बंद होने के पश्चात खाताधारक अपना नया खाता खोलने के लिए शाखा से दोबारा सम्पर्क कर सकते हैं तथा बैंक आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद अनुमति दे सकता है.

कृपया ध्यान दें कि लॉकर से संबद्ध खाते, जिनमें सक्रिय स्थायी निर्देश उपलब्ध हैं, विशिष्ट उद्देश्यों हेतु खोले गए खाते जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/सुकन्या समृद्धि योजना/अटल पेंशन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तथा न्यायालय, आयकर विभाग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के आदेश से फ्रीज किए गए खाते इस प्रक्रिया के अंतर्गत बंद नहीं किए जाएंगे।

किसी भी पूछताछ/ सहायता हेतु कृपया अपनी शाखा से संपर्क करें.

महाप्रबंधक
कृषि एवं सामाजिक बैंकिंग विभाग